

मध्यप्रदेश विधान सभा

नवम्बर-दिसम्बर, 1996 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 11 दिसम्बर, 1996 (अग्रहायण 20, 1918)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री बच्चन नायक, कंकर मुंजारे, बाबूलाल गौर, सदस्य, जबलपुर जिले की कुटेश्वर लाइम स्टोन माइन्स क्षेत्र की भूमि का मुआवजा कृषकों को न दिये जाने की ओर राज्यमंत्री खनिज साधन का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री नोबेल कुमार वर्मा, सदस्य, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में पशुओं की अवैध बिक्री होने की ओर पशुपालन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(3) श्रीमती करुणा शुक्ला, सदस्य, रायपुर जिले के ग्राम तिल्दा के श्रमिकों को उत्तर प्रदेश में बंधक बनाये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(4) श्री ओमप्रकाश खटीक, सदस्य, शिवपुरी जिले में तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य में अनियमितता होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

3. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 60-नागौद से निर्वाचित सदस्य, श्री रामदेव सिंह, को विधान सभा के नवम्बर-दिसम्बर, 1996 सत्र की बैठको से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा।

4. प्रतिवेदन की प्रस्तुति/स्वीकृति

(1) श्री सुभाष कुमार सोजतिया, सभापति, आश्वासन समिति का सत्रहवां, अठारहवां तथा उन्नीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

(2) श्री शिवप्रताप सिंह (गुना), सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का चौबीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

" सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के चौबीसवें प्रतिवेदन से सहमत है "।

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री नोबेल कुमार वर्मा, सदस्य, बिलासपुर जिले के -

(क) तहसील मुख्यालय डभरा स्थित चिकित्सालय में चिकित्सक पदस्थ कराये जाने ; तथा

(ख) खरसिया-चन्द्रपुर, धुरकोट-चन्द्रपुर, कोटकी-फिरारी तथा सक्की-टुण्ड्री मार्ग का डामरीकरण कराये जाने ;

(2) श्री बच्चन नायक, सदस्य, जबलपुर जिले के -

(क) सिमरार जलाशय से निकलने वाली नहर की मरम्मत कराये जाने ;

(ख) ग्राम भनपुरा नं. 1 में एक बस्ती कनेक्शन दिलाये जाने ; तथा

(ग) इन्कौर जिले के ग्राम पालिया में ट्यूबवेल लगाये जाने ,

के संबंध में याचिकाये प्रस्तुत करेंगे।

6. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य

श्री प्रेमनारायण ठाकुर, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, दिनांक 27 फरवरी, 1996 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 25 (क्रमांक 1798) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

निर्धारित
समय
1 घंटा

(1) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, ऊर्जा मंत्री, मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 1996 (क्रमांक 31 सन् 1996) के पुरस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरस्थापित करेंगे.

(2) श्री बी.आर. यादव, सहकारिता मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 1996 (क्रमांक 26 सन् 1996) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

1 घंटा

(3) श्री अशोक राव, बीस सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश लोक अभिकरणों के माध्यम से बीस सूत्रीय कार्यक्रम का कार्यान्वयन (संशोधन) विधेयक, 1996 (क्रमांक 27 सन् 1996) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

8. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घंटा
30 मि.

प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में अल्प वर्षा से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सर्वश्री बच्चन नायक, डॉ. गोविन्द सिंह, रामलखन सिंह (त्यौधर), गौरीशंकर बिसेन, डॉ. दाल सिंह बिसेन, बनवारीलाल अग्रवाल, लक्ष्मीकांत शर्मा, रमेश शर्मा, बृजमोहन अग्रवाल, डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, जयकरण साकेत तथा रामलखन शर्मा, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

9. नियम 142-क के अधीन अल्पकालीन चर्चा

रायपुर जिले में स्थित देवभोग हीरा खदान विदेशी कम्पनी को दिये जाने के संबंध में सर्वश्री रामलखन शर्मा, बच्चन नायक, रामलखन सिंह (त्यौधर), बृजमोहन अग्रवाल, गिरिराज मण्डलोई तथा बनवारी लाल अग्रवाल, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

भोपाल :
दिनांक : 10 दिसम्बर, 1996

अशोक चतुर्वेदी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा